आदेश	कार्यवाही विवरण महेश कुमार बनाम प्रभाती देवी आदि प्र0सं0 196 / 2016	अनुपालना के क्रमांक एवं दिनांक
09-06-22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अनावेदक नम्बर 02 व 03 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। नकील वकील आवेदक को दिलवाई गई। बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि शामालाती दर्ज खातेदारी की है जिसको बिना विधिवत विभाजन भूमि क्रय की गई। प्रार्थना को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप आवेदक का प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 27.10.2016 को कंफर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद प्रार्थना पत्र मूल दावे का साथ संलग्न हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। ए.सी.ई.एम. (क्र.दे.) नवलगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:26:50 IST
Reason: SelfAttested